[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 70/2018- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख, 31□□□□□□□, 2018

सा.का.नि......(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि.761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 34/2018–केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के तीसरे परंतुक में "जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018" और "31 दिसंबर, 2018" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण – मूल अधिसूचना संख्यांक 34/2018–केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.1146(अ), तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 62/2018–केन्द्रीय कर, तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा किया गया था ।